सं0-23/2016/985/62-2-2016-2/3(06)/2015

प्रेषक,

भरत लाल राय,
सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

संबंधित अधिशासी अभियंता,
लघु सिंचाई खण्ड,
उत्तर प्रदेश।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ- दिनांक- 28 मार्च,2016

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के अधीन लेखा शीर्षक 2702-लधु सिंचाई-आयोजनागत-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-07-लघु तथा सीमान्त कृषकों को कृषि उत्पादन हेतु सहायता (बोरिंग तथा पम्पसेट निर्माण हेतु अंश का 50 प्रतिशत अनुदान) (जिला योजना)-27-सब्सिडी में पुनर्विनियोजित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपने पत्र सं0-जी-357/ल0सिं0/बजट-आयोजने0पुन0/2015-16, दिनांक 17.03.2016 का संदर्भ ग्रहण् करें।

2- इस संबंध में यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में अनुदान सं0-13 के अधीन लेखा शीर्षक 2702-लघु सिंचाई-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-लधु सिंचाई योजना की मानक मद-03-मंहगाई भत्ता में प्राविधानित धनराशि रू0-12076.96 लाख के सापेक्ष उपलब्ध बचतों की धनराशि रू0-3097.47 लाख में से धनराशि रू0-2140.44 लाख को आयोजनागत पक्ष में अनुदान सं0-13 के अधीन लेखा शीर्षक 2702-लधु सिंचाई-आयोजनागत-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-07-लघु तथा सीमान्त कृषकों को कृषि उत्पादन हेतु सहायता (बोरिंग तथा पम्पसेट निर्माण हेतु अंश का 50 प्रतिशत अनुदान) (जिला योजना)-27-सब्सिडी में पुनर्विनियोजित के माध्यम से (संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9) संक्रमित की गयी है, को संलग्न विवरणानुसार व्यय किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3- तत्संबंधी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के अधीन लेखा शीर्षक 2702-लघु सिंचाई-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-लघु सिंचाई योजना के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उपरोक्त वर्णित मानक मदों से पुनर्विनियोजित कर लेखा शीर्षक 2702-लघु सिंचाई-आयोजनागत-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-07-लघु तथा सीमान्त कृषकों को कृषि उत्पादन हेतु सहायता (बोरिंग तथा पम्पसेट निर्माण हेतु अंश का 50 प्रतिशत अनुदान) (जिला योजना)-27-सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन के यू0 ओ0-ई-2-293/दस-2016, दिनांक 22.03.2016 के क्रम मे जारी किये जा रहे है।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय,

(भरत लाल राय)
सचिव।

सं0-23/2016/985(1)/62-2-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
3- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन।(03 प्रतियों में)
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन।
5- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6- संबंधित अधीक्षण अभियंता/सहायक अभियंता, उ0प्र0।
7- संबंधित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
8- संबंधित मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0 प्र0।
9- निदेशक, सूचना, उ0प्र0।
10- एन0आई0सी0 की प्रति।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सं0-23/2016/985/62-2-2015-2/3(06)/2015, दिनांक 28 मार्च,2016 का संलग्नक।

चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत अनुदान सं0-83 के अधीन "लेखाशीर्षक-2702-लघु सिंचाई-आयोजनागत-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-07-लघु तथा सीमान्त कृषकों को कृषि उत्पादन हेतु सहायता (बोरिंग तथा पम्पसेट निर्माण हेतु अंश का 50 प्रतिशत अनुदान) (जिला योजना)-27-सब्सिडी में पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि का विवरण:-

(लाख रूपये में)

क्र0 सं0	जनपद	नियोजन विभाग द्वारा सूचित परिव्यय	पूर्व में आवंटित धनराशि	संशोधित आवंटित धनराशि	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	संशोधित आवंटन के अनुसार अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1-	बुलन्दशहर	275.80	48.61	73.80	48.61	25.19
2-	अलीगढ	390.60	116.18	190.10	116.18	73.92
3-	हाथरस	93.00	31.06	48.66	31.06	17.60
4-	एटा	150.00	42.13	70.52	42.13	28.39
5-	कासगंज	140.00	17.05	43.54	17.05	26.49
6-	फिरोजाबाद	87.00	23.36	39.82	23.36	16.46
7-	मैनपुरी	93.00	23.27	40.87	23.27	17.60
8-	बरेली	310.00	103.74	152.40	103.74	48.66
9-	बदायूँ	277.50	54.76	95.83	54.76	41.07
10-	लखनऊ	13.50	8.92	12.92	8.92	4.00
11-	हरदोई	832.50	186.31	343.85	186.31	157.54
12-	सीतापुर	636.00	161.33	281.68	161.33	120.35
13-	खीरी	703.50	201.81	334.94	201.81	133.13
14-	उन्नाव	692.00	203.02	333.97	203.02	130.95
15-	कानपुर नगर	449.00	93.59	176.56	93.59	84.97
16-	इटावा	77.85	23.35	38.08	23.35	14.73
17-	औरैया	144.00	48.18	75.43	48.18	27.25
18-	कन्नौज	155.75	14.01	43.48	14.01	29.47
19-	फर्रूखाबाद	51.10	1.90	11.57	1.90	9.67
20-	गाजीपुर	310.00	182.07	225.73	182.;7	43.66
21-	अम्बेडकरनगर	125.75	32.61	76.41	32.61	43.80
22-	बारांबंकी	530.00	80.71	211.01	80.71	130.30
23-	अमेठी	232.50	59.70	103.70	59.70	44.00
24-	गोण्डा	144.15	48.09	75.37	48.09	27.28
25-	बलरामपुर	70.00	27.68	40.्93	27.68	13.25
26-	बहराइच	560.00	70.33	151.30	70.33	80.97
27-	श्रावस्ती	122.50	25.08	48.26	25.08	23.18
28-	गोरखपुर	384.33	105.96	148.69	105.96	42.73

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

29-	महराजगंज	379.70	72.49	164.34	72.49	91.85
30-	कुशीनगर	390.00	64.79	138.59	64.79	73.80
31-	बस्ती	818.00	191.42	396.22	191.42	204.80
32-	संतकबीरनगर	453.00	171.01	273.73	171.01	102.72
33-	सिद्धार्थनगर	333.67	112.19	197.06	112.19	84.87
34-	आजमगढ	460.00	33.56	105.61	33.56	72.05
35-	मऊ	140.00	48.70	73.30	48.70	24.60
36-	बलिया	154.00	5.27	34.41	5.27	2140.44
	योग-	11179.70	2734.24	4874.68	2734.24	2140.44

(रूपय इक्कीस करोड चालीस लाख चौवालिस हजार मात्र)

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।